राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः प.4(6)कार्मिक/क-3/78 जयपुर, दिनांकः 7-05-99

1-समस्त शासन सचिव
2-समस्त विभागाध्यक्ष।
(जिला कलेक्टरों सहित)

प रि प त्र

प्रायः यह देखा जाता है कि राज सेवक अपने सेवा सम्बन्धी मामलों हेतु वरिष्ठ अधिकारियों पर राजनीतिक या अन्य प्रभाव डलवाते हैं। उनका यह कार्य कदाचार की संज्ञा में आता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम, 24 में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन उसके सेवा सम्बन्धी मामलों के लिए राजनीतिक या अन्य प्रभाव अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर नहीं डलवायेगें। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी इस विभाग के पत्र संख्या प.4(1)(नि/ए-3/72 दिनांक 8.1.73 एवं प.4(6)(नि/ए-3/78 दिनांक 26.10.78 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं किन्तु उनकी वास्तविक रुप से पालना नहीं हो पाने के कारण राजकार्य को प्रभावी एवं सुचारु रुप से संचालन में अनेकानेक बाधायें उत्पन्न होती हैं।

अतः समस्त शासन सचिवों/विभागाध्यक्षों से पुनः निवेदन है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग का कोई सरकारी कर्मचारी विशेषकर राज्य या अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी अपनी सेवा संबंधी मामलों के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारी पर राजनीतिक या अन्य प्रभाव लाने या उसके लिए प्रयास करने की कार्यवाही तो नहीं करता है। यदि फिर भी कोई कर्मचारी ऐसा करता है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा उसे गम्भीरता से लिया जावे तथा राजस्थान सिविल सेवायें (आचरण) नियम, 1971 के नियम 24 की अवहेलना हेतु उसे प्रथमतः इस प्रकार के राजनीतिक या अन्य प्रभाव को उसके सेवा सम्बन्धी मामलों के लिए उपयोग में नहीं लिए जाने हेतु सलाह दी जाये। इसके उपरान्त भी यदि वह अपने सेवा सम्बन्धी मामलों के लिए राजनीतिक अथवा अन्य प्रभाव काम में लेता है तो उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु लिखित चेतावनी दी जावे जिसे सम्बन्धित राज्य कर्मचारी के अभिलेख में रखा जावे। इन कार्यवाहियों के उपरान्त भी यदि वह उपरोक्त नियमों के नियम 24 का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अलग से कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त निर्देशों की कठोरता से पालना की जावे।

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1- सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2- निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर
3- समस्त अनुभागाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर
4- प्रशासनिक सुधार (संकलन शाखा) विभाग को 7 अतिरिक्त प्रति सहित।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित हैः-

1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर
2- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर
3- रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर।

शासन उप सचिव